# कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।

सिविल कोर्ट परिसर मेरठ में स्थित तेरह न्यायालय भवन में लगी हुई दो लिफ्ट जिनकी क्षमता क्रमशः 6 व्यक्ति व 20 व्यक्तियों को एक साथ ले जाने की है, के संबंध में उनके वार्षिक अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आयकर व्यापारकर से मान्यता प्राप्त पंजीकृत फर्मो से सीलबन्द टैन्डर दिनांक–20.03.2017 तक आमन्त्रित किये जाते है। टैन्डर के साथ अंकन 5000–00 रूपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप मे ड्राफ्ट जिला जज, मेरठ के नाम में अथवा नगद रूप से कैशियर सिविल कोर्ट, मेरठ के पास दिनांक–20.03.2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक जमा कराना होगा। टैन्डर उसी दिन 2:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोले जायेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म स्वामी टैन्डर खोलते समय यदि उपस्थित होना चाहे तो उपस्थित हो सकता है।

टैन्डर केवल उसी व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा दाखिल किया जायेगा जिसे उक्त कार्य करने का अनुभव हो तथा अनुभव के संबंध आवश्यक प्रमाण पत्र टैन्डर दाखिल करते समय प्रस्तुत करना होगा। किसी भी टैन्डर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा तथा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय बिना किसी कारण बताये टैन्डर प्रक्रिया को निरस्त कर सकते है। टैन्डर के संबंध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर से प्राप्त की जा सकती है। टैन्डर जिस व्यक्ति अथवा फर्म के पक्ष में स्वीकृत होगा उसे तत्काल अनुबंध पत्र का निष्पादन कराना होगा।

दिनांक–01.03.2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lokesh 01-3-17 | 1/3/17 | 01/3/17 | 1.3.2017 |
| (लोकेश पंवार) | (श्रीमती श्वेता चौधरी) | (प्रकाश तिवारी) | (अरविन्द कुमार पाण्डेय) |
| न्यायालय प्रबन्धक, | सदस्य, इन्फ्रा सब कमेटी, | सदस्य, इन्फ्रा सब कमेटी, | अध्यक्ष, इन्फ्रा सब कमेटी, |
| जनपद न्यायालय, मेरठ। | जनपद न्यायालय, मेरठ। | जनपद न्यायालय, मेरठ। | जनपद न्यायालय, मेरठ। |

# टेन्डर में भाग लेने हेतु शर्ते

दिनांक–20.03.2017 को जनपद न्यायालय में तेरह न्यायालय भवन में लगी हुई दोनो लिफ्ट्स के वार्षिक अनुरक्षण दिनांक–01.4.2017 से 31.03.2018 तक की टेन्डर प्रकिया में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा निम्न शर्तो को पूर्णतया पालन करना होगा।

1– उक्त टेन्डर प्रकिया में भाग लेने वाली फर्म आयकर/व्यापारकर से मान्यता प्राप्त अथवा पंजीकृत होनी चाहिए।

2– उक्त टेन्डर प्रकिया में टेन्डर सम्बन्धित फर्म अथवा व्यक्ति द्वारा सील बन्द लिफाफें में प्रेषित किये जायेंगे।

3– टेन्डर उसी फर्म अथवा व्यक्ति का स्वीकार होगा जो न्यूनतम मूल्य पर होगा।

4– टेन्डर प्रकिया में भाग लेने वाले फर्म अथवा व्यक्ति द्वारा धरोहर राशि अंकन–5,000/–रूपये धरोहर के रूप में कैशियर सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद रूप में समय दिन 11:00 बजे तक जमा कराने होंगे।

5– टेन्डर प्रकिया में भाग लेने वाले फर्म के स्वामी अथवा व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि इस सम्बन्ध किसी भी कार्य दिवस में जानकरी प्राप्त कर सकते है।

6– जिस व्यक्ति अथवा फर्म का टेन्डर स्वीकार होगा उसको टेन्डर के संबंध में भुगतान माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुदान प्राप्ति के बाद ही किया जायेगा।

7– जिस व्यक्ति अथवा फर्म का टेन्डर स्वीकार होगा उसको टेन्डर के संबंध में लिखित अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8– कार्यदायी फर्म द्वारा प्रत्येक माह में टैक्नीशियन की जॉबवर्क आख्या प्रस्तुत करनी होगी।

9– आपात स्थिति में कार्यदायी संस्था को अपना टैक्नीशियन दूरभाष सूचना पर अविलम्ब भेजना होगा तथा लिफ्ट की तुरन्त मरम्मत करानी होगी।

10– टेन्डर की स्वीकृति माननीय जिला जज महोदय के अनुमोदन के अधीन होगी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (लोकेश पंवार) | (श्रीमती श्वेता चौधरी) | (प्रकाश तिवारी) | (अरविन्द कुमार पाण्डेय) |
| न्यायालय प्रबन्धक, | सदस्य, इन्फ्रा सब कमेटी, | सदस्य, इन्फ्रा सब कमेटी, | अध्यक्ष, इन्फ्रा सब कमेटी, |
| जनपद न्यायालय, मेरठ। | जनपद न्यायालय, मेरठ। | जनपद न्यायालय, मेरठ। | जनपद न्यायालय, मेरठ। |

DISTRICT JUDGE
MEERUT.